पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज (पीयूसीएल) द्वारा रोह (नवादा) में 28–29 मार्च 2026 को घटित साम्प्रदायिक दंगे की जाँच की रिपोर्ट

नवादा जिला के रोह थाना के अन्तर्गत रोह बाजार में शनिवार, 28 मार्च, 2026 को शाम के वक्त लगभग 8 बजे रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक उपद्रव और दंगे की घटना घटी। इसी कड़ी में 29 मार्च को रोह बस स्टैन्ड पर 20 मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पीयूसीएल की नवादा जिला इकाई ने जांच का निर्णय लिया और इसके लिए एक जाँच टीम का गठन किया। जांच टीम में सात सदस्य थे जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

1. दिनेश कुमार अकेला, राष्ट्रीय पार्षद, पीयूसीएल
2. जाहिद अंसारी, राज्य कार्यकारिणी समिति, पीयूसीएल बिहार
3. नारायण पासवान, जिला सचिव, नवादा, पीयूसीएल
4. रंजीत प्रसाद, जिला सह–सचिव, नवादा, पीयूसीएल
5. प्रो. विप्लेन्द्र कुमार, सदस्य, नवादा जिला कार्यकारिणी, पीयूसीएल
6. रकीब खान, अधिवक्ता, सदस्य, पीयूसीएल
7. साजिद हुसैन, सदस्य, पीयूसीएल

घटना के व्यौरे को जानने और उसके पीछे के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से जाँच टीम दिनांक 05 अप्रैल, 2026 को रोह पहुँची। टीम ने रोह बाजार के दुकानदारों, दंगा पीड़ितों, जनप्रतिनिधियों, अन्य स्थानीय निवासियों और रोह के थानाध्यक्ष से उक्त घटना के सन्दर्भ में विस्तारपूर्वक बातचीत की। लोगों की अनुमति से कुछ बातचीत की.वीडियोग्राफी भी की गई।

जांच–पड़ताल का व्यौरा

पीयूसीएल की जाँच टीम को रोह प्रखण्ड के वार्ड नम्बर 03, जिसके तहत रोह बाजार आता है, के वार्ड सदस्य भूषण पासवान ने बताया कि 28 मार्च, 2026 को रामनवमी की शोभा यात्रा ने रोह के वीरू कुंआ से निकलकर रोह के पश्चिमी छोर होते हुए उत्तर दिशा से मेन बाजार के रास्ते प्रवेश किया। जामा मस्जिद के नजदीक करीब 100 गज की दूरी पर पिछले वर्ष की भांति इस बार भी वहां जनरेटर बंद हो गया। जनरेटर तकनीकी कारण से खुद बंद हो गया या जानबूझकर बंद कर दिया गया, यह जाँच का विषय बनता है। जनरेटर करीब आधे घण्टे तक बंद रहा और जुलूस में शामिल लोग वहीं रुककर नारा लगाते रहे। जनरेटर चालू होते ही जुलूस जामा मस्जिद की ओर बढ़ा। ज्यों ही जुलूस मस्जिद के पास पहुँचा कि कहीं से एक

ढेला आकर गिरा। वह ढेला एक प्रशासनिक अधिकारी को लगा। जामा मस्जिद के पास ढेला चलने के बाद पुलिस–प्रशासन ने जुलूस को समझा–बुझाकर किसी तरह आगे बढ़ाया। जुलूस के रोह बाजार मे स्थित लक्ष्मी मंदिर के समीप पहुँचते ही तीन तरफ से ढेलेबाजी शुरू हो गई जिससे वहाँ जबर्दस्त भगदड़ मच गई। पुलिस–प्रशासन ने थोड़ा बलप्रयोग कर जुलूस को किसी तरह आगे बढ़ा दिया। यह घटना शाम के लगभग आठ बजे घटित हुई।

अगले दिन दोनों समुदाय के कुछ सजग लोगों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने आपसी बातचीत से शांति स्थापित करने की पहल शुरू की। लेकिन उनकी कोशिशों की अनदेखी करते हुए दंगाइयों की एक जमात ने दिन में दो बजे के करीब रोह बस स्टैन्ड पहुँचकर वहां मुस्लिम फुटपाथी दुकानदारों की दुकानों को पेट्रोल छिड़कर आग के हवाले कर दिया। ये दुकानदार सब्जी, फल, मछली आदि के विक्रेता थे। मुस्लिम समुदाय के ही एक विक्रेता की रेडिमेड कपड़े की दुकान को भी काफी क्षति पहुंची। प्रशासन के प्रयास से तत्काल अग्निशामक वाहन वहां पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया।

पीयूसीएल की जाँच टीम ने रोह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार मालाकार से उनके निवास स्थल पर जाकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे खुद जुलूस के साथ चल रहे थे और यथासंभव पुलिस–प्रशासन का सहयोग कर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ हो जाने के बाद वे अपने घर चले गए। उन्होंने वार्ड सदस्य भूषण पासवान द्वारा दिए गए विवरण को हू–ब–हू दुहराया।

पीयूसीएल की जाँच टीम ने रोह बाजार के कब्रिस्तान के समीप मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकारी लाइसेंस/अनुमति के अनुसार शोभा यात्रा को वीरू कुँआ से 3 से 4 बजे के बीच में निकलना तय था, लेकिन शोभा यात्रा शाम 7 बजे निकली। सरकारी निर्देशानुसार डीजे प्रतिबन्धित था। लेकिन एक नहीं, चार–चार डीजे बज रहे थे, जबकि पुलिस–प्रशासन के अधिकारी, जिनपर डीजे पर प्रतिबन्ध को लागू करने की जिम्मेदारी थी, शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के तौर पर, शोभा यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा में विलम्ब को देखते हुए अजान के वक्त को शाम 8 बजे से बढ़ाकर पौने 9 बजे कर दिया गया था। यहां के निवासियों कहना था कि पुलिस के एस.आइ., शिवनाथ सिंह, की भूमिका काफी संदिग्ध थी। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर कई निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। मो. साविद का नाम एफआइआर में दर्ज है जबकि वे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं। मो. इम्तियाज का भी नाम एफआइआर में दर्ज किया गया है जबकि वे बेकसूर हैं।

मो. सल्लाउद्दीन (पिता मो. करीम) का मानना था कि असली कसूरवार पुलिस–प्रशासन है। अगर पुलिस मुस्तैद रहती तो एक भी दुकान नहीं जलती। उन्होंने सूचित किया कि रामनवमी शोभा यात्रा के एक दिन पहले, यानि 27 मार्च 2026 को, बजरंग दल के लोगों ने रोह बाजार में जुलूस निकालकर माइक पर ऐलान किया था कि 28 मार्च को सभी दुकानों को बंद रखना होगा। यदि किसी ने दुकान खुली रखी तो वह अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। मो. सल्लाउद्दीन और वहां मौजूद लोगों की शिकायत थी कि जिन लोगों ने दुकानों में आग लगाई, उनके नाम एफआइआर में नहीं हैं, बल्कि आग लगाने वाले अक्सर पुलिस की संगत में दिखते हैं।

रोह दंगे के कारण निम्नलिखित व्यक्तियों को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ा हैः

1. मो. छोटू, पिता मो. कलीम – अण्डा–मुर्गी की दुकान जला दी गई।
2. मो. सोनू राईन, पिता मो. जहाँगीर – अण्डा–मुर्गी की दुकान जला दी गई।
3. मो. एहतेशाम, पिता मो. मोईनउद्दीन – कुमकुम वस्त्रालय नामक कपड़े की दुकान का शीशा तोड़कर लूटपाट की गई।
4. मो. नवीजान, पिता मो. कुदरत मियां – फल की दुकान लूटने के बाद जला दी गई।
5. रानी प्रवीण, पति मो. चाँद – रेडिमेड कपड़े की दुकान जला दी गई।
6. मो. इरफान, पिता इकबाल – फल की दुकान लूटकर जला दी गई।
7. मो. इमरान, पिता एकबाल – फल की दुकान लूटकर जला दी गई।
8. मो. अख्तर आलम, पिता चमारी मियां – फल विक्रेता को लूट लिया गया।
9. मो. इस्लाम, पिता चमारी मियां – सब्जी की दुकान को लूटा और जलाया गया।
10. मो. मुस्तफा, पिता अब्दुल गफूर – फल विक्रेता को लूट लिया गया।
11. मो. आजाद, पिता हासिम – मछली–मुर्गा की दुकान को जला दिया गया।
12. मो. समीद आलम, पिता सेराजउद्दीन – फुटपाथी दुकान को लूटा और जलाया गया।
13. मो. सल्लाउद्दीन, पिता सेराजउद्दीन – फुटपाथी दुकान को लूटा और जलाया गया।
14. मो. आमीश, पिता रफीक – सब्जी की दुकान को लूटा और जलाया गया।
15. मो. शाहजाद, पिता शफीक – सब्जी की दुकान को लूटा और जलाया गया।

16. मो. असलम, पिता मकबूल – फल की दुकान को लूटा और जलाया गया।

17. मो. फहीम, पिता मो. जहीर – फल की दुकान को बर्बाद कर दिया गया।

18. मो. आलीशान, पिता परवेज आलम – फल की दुकान को लूट लिया गया।

19. मो. शमशेर आलम, पिता शहाबउद्दीन – रेडिमेड कपड़े की दुकान एवं चंदन वाटिका को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

20. डा. आलम की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

घटना के बाद पुलिस की भूमिका के बारे में दंगा पीड़ित परिवारों के बयान

शाजदा खातून (पति मो. सजिद) ने बताया कि आधी रात को पुलिस उनके घर के दरवाजे को जबरन खुलवाने की कोशिश कर रही थी। इस क्रम में दरवाजे की बेड़ी टूट गयी। करीब 20–25 पुलिसकर्मी थे। उन्होंने खूब गाली–गलौज की। सविया खातून (पति मो. हलीम) ने बताया कि साढ़े 12 बजे रात्रि में बहुत बड़ी संख्या में पुलिसवाले आए और खूब दरवाजा पीटा। फिर पुलिसवाले सीढ़ी से छत के रास्ते घर में घुस आए। उन्होंने बक्सा, आलमीरा आदि की तलाशी ली। फिर उनके सौहर को गालियां देते, मारते–पीटते, अपने साथ ले गए। सविया ने कहा कि उनके सौहर बिल्कुल निर्दोष हैं। शायरा बानो (पति नसीबउद्दीन) ने बताया कि शोभा यात्रा के अगले दिन, 29 मार्च को, पुलिस वालों ने दमभर उनका दरवाजा पीटा। दरवाजा नहीं टूटने पर खिड़की को चूर दिया। गालियां दीं। मो. यासिन ने बताया कि पुलिस दूसरे के घर की छत से कूदकर जबरन उनके घर में घुस गई और उनकी बेटी की बर्बर पिटाई की। डर के मारे उनकी बेटी अपने ससुराल चली गई। पुलिस उन्हें पकड़कर पूछताछ के लिए ले गई और बाद में छोड़ दिया। शबाना, सलमा और खैरूब ने बताया कि दर्जनों पुलिसकर्मी उनके घर पर चढ़ गए और बोला कि गोली मार दो ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। गुलशन खातून (पति मो. रहमत) ने बताया कि रात के 11 बजे पुलिस सीढ़ी लगाकर घर में घुस गई और गालियां बकते हुए, दौड़ा–दौड़ा कर घर के लोगों की निर्मम पिटाई की। साहिन खातून, माजरा खातून, रहमाना खातून और मो. कईम ने बताया कि एकाएक बहुत बड़ी संख्या में पुलिस साहिन खातून के घर पहुंची और उसके सौहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि रामनवमी शोभा यात्रा के दिन उसका सौहर अपने घर से बाहर तक नहीं निकला था। पहले पुलिस उसकी बहू को ले जा रही थी लेकिन व्यापक विरोध एवं जनदबाव के कारण पुलिस ने बहू को छोड़ दिया परन्तु वहीं मौजूद निक्की एवं दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया।

मो. अरमान (पिता मो. इकमान) ने बताया कि पुलिस उन्हें रास्ते से पकड़कर कादिरगंज थाना ले गई। दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उनकी हाजत में बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के डर से उन्होंने सरकारी अस्पताल के बजाय एक प्राइवेट डॉक्टर से पकरीबरावाँ में इलाज करवाया। रूम्मी खातून ने बताया कि भगदड़ मच जाने के बाद भागने के क्रम में कुछ उन्मादी हिन्दुओं ने उन्हें घेरकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

सुधा देवी (पति शिव कुमार पासवान) ने बताया कि पुलिस ने अविनाश और अंकित को एक बजे रात में घर से उठा लिया जब वे सो रहे थे और रोह थाना ले जाकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा के नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष मनीष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मनीष की मां का कहना था कि शोभा यात्रा का कोषाध्यक्ष बना देने के कारण ही उनके पुत्र और साथ ही पति (बैकुंठ पासवान) को नामजद अभियुक्त बनाया गया और एक बजे रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। मुहल्ला वासियों ने दबी जुबान में बताया कि पुलिस अपनी नाकामी का ठीकरा जनता के मत्थे फोड़ने के लिए निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान कर रही है।

मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार मालाकार ने भी शिकायत की कि पुलिस ने उनके निर्दोष, समाजसेवी लड़के को भी नामजद अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया है। उनके अनुसार, एक बजे रात्रि में पुलिस उनके घर पहुँची परन्तु रात्रि में दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिस वापस लौट गई। मुखिया प्रतिनिधि का कहना था कि उक्त कांड में पुलिस–प्रशासन की संलिप्तता झलकती है। अन्यथा पुलिस सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी को खंगालकर दोषियों की शिनाख्त करने के साथ–साथ निर्दोषों पर से फर्जी आरोप वापस ले लेती। उल्टे अपराधी पुलिस के साथ घूमते दिखते हैं।

रोह के थानाध्यक्ष से मुलाकात का व्यौरा

जाँच टीम ने रोह थानाध्यक्ष, राहुल अभिषेक, से मुलाकात कर घटना के सम्बन्ध में बात की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने रामनवमी की शोभा यात्रा को वीरू कुँआ से लेकर जामा मस्जिद और लक्ष्मी मंदिर तक अच्छी तरहे निपटा लिया, लेकिन आगलगी की घटना रोक पाने में विफल रही। घटना में कई नाबालिक लड़के शामिल थे। 44 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। इनके अलावा, 100–125 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अगले साल पंचायत चुनाव हैं, इसीलिए इस कांड में सियासी हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं हिन्दू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद करती हैं। जिनके दुकानों को जलाया गया है उन्हें

मुआवजा दिलाने के लिए कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि निर्दोषों को परेशान नहीं किया जाएगा। उनपर से मुकदमों को वापस कर लिया जायगा लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

रोह के दंगे के बारे में विचारणीय प्रश्न

1. सरकारी आदेशानुसार 28 मार्च के दिन रामनवमी की शोभा यात्रा को दिन में 3–4 बजे के बीच निकलना तय था तो फिर उसे रात में सात बजे क्यों निकलने दिया गया?

2. जब सरकार ने जुलूस में डीजे के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है तो पुलिस–प्रशासन की मौजूदगी में चार–चार डीजे क्यों बज रहे थे?

3. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मौजूद हैं। पुलिस जुलूस का वीडियो बनवा रही थी। साथ ही, पुलिस–प्रशासन के कर्मी खुद भी उपद्रव के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन सबका इस्तेमाल करके केवल दोषियों की शिनाख्त करने और उन्हें पकड़ने के बजाय निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? क्या पुलिस राजनीतिक कारणों से अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है?

4. 27 मार्च को बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अगले दिन बाजार बंद करने की खुलेआम धमकी दिये जाने के बावजूद पुलिस ने उनपर एहतियातन कार्रवाई क्यों नहीं की?

5. 28 मार्च, 2026 को फसाद हो जाने के बावजूद क्या पुलिस–प्रशासन ने शिथिलता दिखाई जिसके कारण 29 मार्च, 2026 को पुनः दंगे हुए?

6. उपद्रव एवं दंगे का निशाना मुस्लिम समुदाय था। उसे ही आर्थिक क्षति भी पहुंचाई गई। फिर भी, पुलिस–प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों पर क्यों मुकदमे लाद दिए हैं, उनकी गिरफ्तारी की है और उनके साथ गाली–गलौज और मारपीट की है?

जांच टीम के निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

नवादा में 1974 के बाद से दंगों का इतिहास रहा है। परन्तु हाल के वर्षों मे दंगे–फसाद की घटनाओं में तेजी आई है। 28 मार्च 2026 की घटना को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। पूरे घटनाक्रम की तहकीकात और नवादा जिले में दंगों के इतिहास के मद्देनजर टीम का मानना है कि यदि पुलिस–प्रशासन चुस्त और सजग होता, उसका सूचनातंत्र ठीक से काम कर रहा होता और उसने कानून और नियमों का कड़ाई से पालन करवाया होता तो 28 एवं 29 मार्च 2026 को घटित दंगा–फसाद को निश्चित रूप से रोका जा सकता

था। रोह में साम्प्रदायिक शक्तियों ने खुलेआम और निर्भय होकर उपद्रव किया किन्तु पुलिस–प्रशासन ने शिथिलता बरती। ऐसी शिथिलता से दंगाइयों को शह मिलती है और उनका मनोबल बढ़ता है। रोह जैसी घटनाओं से समाज में समरसता कमजोर पड़ती है जो समाज और देश की एकता के लिए घातक है। इसके अलावा, आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। उनमें असुरक्षा और भय का बोध बढ़ता है। पुलिस–प्रशासन को धर्म की राजनीति से निरपेक्ष रहते हुए अपना संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के बगैर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी नहीं लाई जा सकती।

पीयूसीएल की जांच टीम की अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

1. 28–29 मार्च, 2026 को रोह में घटित साम्प्रदायिक दंगे की न्यायिक जाँच कराई जाए। न्यायिक जांच की परिधि में शोभा यात्रा के दौरान पदस्थापित पुलिस–प्रशासन की संदेहात्मक भूमिका को भी शामिल किया जाए। दोषी पाए जानेवाले सभी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

2. दंगे के दौरान जिन लोगों को आर्थिक क्षति पहुंची है उन्हें प्रशासन द्वारा तत्काल और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

4. रोह बाजार और उपद्रव से प्रभावित स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और सरकार द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी को देखकर असली मुजरिमों को चिन्हित और गिरफ्तार किया जाए तथा उनपर त्वरित मुकदमा चलाया जाए। साथ ही, निर्दोष लोगों का नाम एफआइआर से हटाया जाए और उनपर लगे मुकदमें वापस लिए जाएं।

5. नवादा में दंगे–फसाद की पृष्ठभूमि को देखते हुए, इसके दूरगामी समाधान के लिए दोनों समुदायों को मिलाकर शांति समिति बनाई जाए और उसकी नियमित बैठकें हों। आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को मिलाकर शिक्षण–प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना चाहिए।

6. भविष्य में दंगे–फसाद न हों इसके लिए प्रशासन को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनानी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के साम्प्रदायिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा सामाजिक–धार्मिक अवसरों पर उपद्रव करने की कोशिशों को विफल करने के लिए विशेष इंतजाम करना चाहिए।